प्रेस विज्ञप्ति

नौएडा के विभिन्न श्रेणियों के आवंटियों, आर0डब्लू0ए0 के पदाधिकारियों, उद्यमियों एवं व्यवसायियों की मांग पर जल एवं सीवर विभाग की अतिदेय राशि पर लगने वाले ब्याज की राशि में छूट देने हेतु गत वर्षों की भांति एकमुश्त समाधान योजना (एमनेस्टी स्कीम) प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1.12.2019 से दिनांक 29.02.2020 तक के लिए लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2019 में ब्याज पर 40% की छूट, जनवरी 2020 में ब्याज पर 30% की छूट एवं माह फरवरी 2020 में ब्याज पर 20 % की छूट प्रदान करने की व्यवस्था दी गयी था। माह दिसम्बर 2019 एवं जनवरी 2020 में बकाएदारों द्वारा इस योजना का लाभ लेते हुए अपना अतिदेय जमा करने में अपेक्षाकृत कम रूचि ली गयी है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 90 करोड रूपये जल राजस्व के मद में जमा हुए हैं जिसमें माह दिसम्बर 2019 एवं जनवरी 2020 में एमनेस्टी स्कीम के अन्तर्गत मात्र 16.58 करोड रूपये जमा कराए गए हैं। फरवरी माह में ऐसे सभी बकाएदारों के लिए बकाया राशि जमा करने हेतु अंतिम अवसर है। जल-सीवर की बकाया राशि दिनांक 29 फरवरी तक भुगतान नहीं करने पर बिना किसी नोटिस के बकाएदार आवंटियों के जल/सीवर के संयोजनों के विच्छेदन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नौएडा।

Scanned by CamScanner